an>

Title: Need to exempt construction of roads from Forest Conservation Act, 1980.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : सभापति जी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से पूरे देश में लागू है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने प्रदेशों में सड़कों का निर्माण कराया जाता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों में इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की वजह से पर्यावरण का नाम लेकर कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने से मना किया जा रहा है। अतः मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह है कि कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिए इस कानून को बीच में न आने दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON:

Shri Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Dr. Manoj Rajoria and

Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Virendra Kashyap.